

Bihar Medical Services & Infrastructure Corp Ltd.

(A Govt. of Bihar undertaking)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-BMSICL/Infra/31/2016 दिनांक- 05/09/2016

(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट- www.eproc.bihar.gov.in पर)

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा निम्न कार्यो हेतु प्रतिशत निविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं, परंतु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के पश्चात इस निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा:-

गुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में)	बिड प्रोसेसिंग शुल्क (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया में अतिरिक्त क्षमता विकसित करने हेतु आंतरिक जीर्णोद्धार (विद्युतीकरण सहित) का कार्य	40,40,000/-	80,800/-	5,000/-	1150/-	2 माह

2. निविदा समय-सारणी (Tender Schedule)

क्रम संख्या	गतिविधि	तिथि एवं समय
1.	परिमाण विपत्र प्राप्त करने (डाउनलोड) की अवधि एवं समय	15/09/2016 से 26/09/2016 को 15:00 बजे अपराहन तक (वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in)
2.	प्री-बिड की तिथि, स्थान एवं समय	21/09/2016 निगम के कार्यालय में 11:00 बजे पूर्वाह्न।
3.	निविदा प्राप्त (अपलोड) की अंतिम तिथि एवं समय	27/09/2016 को 15:00 बजे तक वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
4.	निविदा हेतु अग्रधन, परिमाण विपत्र की राशि एवं निविदा दस्तावेज की हार्ड कॉपी (मिलान हेतु) जमा करने की तिथि एवं समय	29/09/2016 के 15:00 बजे तक इस निगम के मुख्यालय कार्यालय में।
5.	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	29/09/2016 को 15:30 बजे तक वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
6.	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	बाद में सूचित की जाएगी केवल वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
7.	निविदा की वैधता अवधि	120 दिन।

3. निविदा की विस्तृत शर्त वेबसाइट www.bmsicl.gov.in/www.eproc.bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

4.नियम एवं शर्तें:-

- निविदादाताओं को निविदा के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ upload करना अनिवार्य है।
 - अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र (किसी विभाग अथवा कंपनी निबंधन प्रमाण पत्र)।
 - वाणिज्यकर विभाग में मुल्यवर्धित कर पद्धति के अंकित निबंधन प्रमाण पत्र।
 - आयकर पैन कार्ड।
 - निविदा के साथ निविदा दस्तावेज में दिए गए शपथपत्र प्रपत्र को निविदा सूचना निर्गत होने की तिथि के पश्चात Notarised कर अपलोड करना आवश्यक है।
 - अग्रधन की वांछित राशि जो बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के नाम विधिवत प्रतिज्ञित होना चाहिये। निम्न रूप में :-
 - बैंक ड्राफ्ट "M.D. Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Ltd." के नाम से बना एवं पटना में भुगतये होना चाहिये।
 - किसी Schedule Bank से विहित प्रपत्र में बैंक गारंटी।
 - किसी Schedule Bank का Fixed Deposit Receipt, which shall be pledged in favour of the "M.D. Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Ltd."
- पिछले 05 वर्षों में एक सदृश कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र जो प्राक्कलित राशि के कम से कम 25 प्रतिशत तक की हो तथा कार्यपालक अभिर्यता के स्तर या इसके समकक्ष पदाधिकारी के द्वारा निर्गत हो।
- पिछले 5 वित्तीय वर्ष में किसी एक वर्ष का टर्नओवर कार्य के प्राक्कलित राशि का न्यूनतम 50% तक होना चाहिये। निविदा अभिलेख के साथ ऑडिटेड बैलेंस सीट की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

7. EMD एवं BOQ की राशि की मूल प्रति निर्धारित तिथि एवं समय तक BMSICL, पटना में जमा करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने वाले निविदादाता की निविदा Unresponsive समझी जायेगी। परिमाण विपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रूप में BMSICL, पटना के नाम से पटना में भुगतये होना चाहिये।
8. निविदा दो बीड पद्धति के आधार पर प्राप्त की जायेगी। एक तकनीकी बीड का होगा तथा द्वितीय वित्तीय बीड का होगा।
9. Serious unbalanced Rate के लिए नियमानुसार अतिरिक्त Performance Security देय होगा तथा 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्दत रहने वाले निविदाएँ अमान्य मानी जाएगी।
10. गैर अनुसूचित मद में निविदादाता द्वारा सभी मदों का दर अंकित करना अनिवार्य है।
11. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है जो निविदा के साथ देय होगा।
12. निविदादाताओं को निविदा डालने से पूर्व कार्य से तथा कार्यस्थल से भली-भाँति अवगत होना होगा एवं ऐसा माना जाएगा की कार्य एवं कार्यस्थल से भली-भाँति अवगत होने के पश्चात् दर डाला गया है।
13. Joint Venture मान्य नहीं होगा (10 करोड़ से कम कार्य हेतु)।
14. इच्छुक निविदादाता को सर्विस प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर्ड होना होगा ताकि बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग ले सके। इसके लिए इच्छुक निविदादाता E-Procurement Helpdesk at 1st floor, M/22, Bank of India Building, Road No-25, Sri Krishna Nagar, Patna-800020, फोन नं0-0612-2523006, मो0 नं0- 09939035696 से संपर्क करें।
15. परिमाण विपत्र की राशि, अग्रधन की राशि तथा अन्य वांछित दस्तावेज जो निविदा के साथ संलग्न किया जाना है को scan कर बेवसाईट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
16. अगर बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in का सर्वर आधी रात से निविदा प्राप्ति के अंतिम समय तक Two consecutive hours से ज्यादा Down रहने पर निविदा समाप्ति की अंतिम तिथि बढ़ायी जा सकती है। Internet सर्वर में बाधा उत्पन्न होने पर e-tendering में Delay के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदादाता को सलाह दिया जाता है कि निविदा कागजात को अंतिम समय से पहले Upload कर लिया जाना चाहिए ताकि बाधा से बचा जा सके।
17. निविदादाता Ms Office 2003 Version का ही प्रयोग करें।
18. File Size 5MB से कम होना चाहिए एवं MS Word, MS Excel, PDF & JPEG Format में होना चाहिए।
19. प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो प्रत्येक निविदा के सामने उपर कंडिका-1 में अंकित है लौटाया नहीं जाएगा।
20. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का Corrigendum/Addendum केवल bmsicl/e-proc के वेबसाईट पर ही अपलोड किया जाएगा।
21. बिड प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान संवेदकों द्वारा केवल नेट बैंकिंग के माध्यम से RTGS/NEFT/Debit Card के माध्यम किया जाएगा। संवेदक निर्धारित समय के पूर्व भुगतान सुनिश्चित कर लें। अंतिम समय में नेट बैंकिंग के माध्यम से हुए भुगतान के विलंब हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
22. निविदा पत्र के साथ आवश्यक अन्य दस्तावेज जो अपलोड किया गया है उसकी स्वहस्ताक्षरित हार्ड कॉपी (मिलान हेतु) BMSICL के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना श्रेयस्कर होगा।
23. निर्मित भवन का Defect Lability Period भवन पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष होगा।
24. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए BMSICL, कार्यालय में किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है।
25. प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एकल वित्तीय निविदा प्राप्त होने पर पुनर्निविदा आमंत्रित की जाएगी।
26. यदि किसी निविदादाता को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम द्वारा निविदा में भाग लेने से वंचित कालीकृत (Debar/Blacklist) किया गया है, तो वैसे निविदादाता की निविदा को अयोग्य माना जाएगा।
27. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
28. किसी या सभी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक के पास सुरक्षित होगा।

(हरीश कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक
BMSICL, पटना